राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2016-17

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.	स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	3–4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	5–6
5.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ	7–8
6.	पदोन्नति	9
7.	सार – संक्षेप (Executive Summary)	10

भूमिका :– आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

1. अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

(गृह अभियोजन विभाग)

↓

1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव
10	सहायक अभियोजन अधिकारी(मुख्यालय)
11	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
13	प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
14	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

3. **<u>अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है</u>** :–

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण अन्य विभागों में सृजित / प्रतिनियुक्ति के पद
1.	निदेशक अभियोजन	1	0	1	वि.शा.स.गृह के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	1	1	0	–
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	1	1	0	–
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	14	11	3	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्रीगंगानगर)अभियोजन पैरवी हेतु
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक	85	67	18	29(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए) विभिन्न न्यायालयो मे पैरवी हेतु कार्यरत
6.	अभियोजन अधिकारी	260	216	44	07 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +2पीटीएस + 1 ए.टी.एस
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	410	139	271	01 सी.आई.डी.(सी.बी.)
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	0	–
9.	निजि सचिव	1	1	0	
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	3	0	–
11.	प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1	
12.	कार्यालय अधीक्षक	46	12	34	–
13.	निजि सहायक	5	1	4	–
14.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	1	0	–
15.	कनिष्ठ लेखाकार	24	9	15	–
16.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	–

17.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	—
18.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	0	1	—
19.	शीघ्र लिपिक	9	3	6	—
20.	सूचना सहायक	44	21	23	
21.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	125	80	45	—
22.	लिपिक ग्रेड – I	278	215	63	
23.	लिपिक ग्रेड – II	529	118	411	
24.	ड्राईवर	1	1	0	—
25.	जमादार	31	13	18	—
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	402	250	152	—
	योग	**2278**	**1168**	**1110**	**40**

नोट :–

1. **सहायक अभियोजन अधिकारी की 294 पदों के अधीन 291 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जा चुका है। नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**

4. **<u>विभागीय प्रमुख कार्य तथा आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना</u>**:–

अभियोजन विभाग के सदस्यों द्वारा की जाने वाली पैरवी व्यवस्था :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुल 15, विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कुल–4 एवं विशिष्ट न्यायालय एन. डी.पी.एस. एक्ट के कुल–3, विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार के कुल –2 एवं विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है। सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के कुल –15 अधिकारी अपर लोक अभियोजक के रुप में एडीजे स्तर के न्यायालयों में पैरवी कर रहे हैं। लोक अभियोजक श्रीगंगानगर के पद पर उप निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी द्वारा पैरवी कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष अक्टूबर 2016 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 745016 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 200376(26.8 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 544640 (73.1 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (91.3 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 456735(61.3 प्रतिशत) थी, जिनमे से 60858(13.3 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। जिसमें दोष सिद्धी 65.7 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह अक्टूबर 2016 तक 3399 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 239 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3160 प्रकरण लम्बित रहें। तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 49.6 प्रतिशत रहा है ।

वर्ष सितम्बर 2016 तक साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 15 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 2 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 13 प्रकरण विचाराधीन हैं।

वर्ष अक्टूबर 2016 तक महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 45831 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से 9762 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, 36069 प्रकरण शेष रहे । दोष सिद्धी 36.2 प्रतिशत रही।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में समस्त अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016 अक्टूबर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	510536	510077	517486
2.	दायर	264723	261919	233997
3.	योग	775279	771996	751483
4.	कमिट (–)	9649	9046	6467
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	765630	762950	745016
B.	दोषसिद्धि	191508	179897	155391
C.	दोषमुक्ति	16874	18407	14701
D.	अन्य ढंग से	47171	47160	30284
5.	कुल निर्णित प्रकरण	255553	245464	200376
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	510077	517486	544640
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	91.90	90.70	91.30
8.	निर्णय का प्रतिशत	33.30	32.10	26.8

5. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ** :–

1. अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालयों में कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 270 पद सृजित कराये गये।
2. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष 2015 में भा. द.सं. के अन्तर्गत 68.8 तथा समस्त अपराध वर्ग में 90.7 रहा एवं वर्ष 2016 में अक्टूबर माह तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 65.9 तथा समस्त अपराध वर्ग में 91.3 रहा है।
3. प्रशासनिक नियन्त्रण एँव प्रशासनिक कार्यकुशलता में और आवश्यक सुधार लाने हेतु अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
4. वर्तमान में राज्य सरकार की ई–गवर्नेन्स नीतियों को देखते हुये नीति को सफल बनाने हेतु विभाग में सूचना सहायक के 44 पद सृजित कराये गये।
5. अभियोजन अधिकारियों/सहायक अभियोजन अधिकारियों की कार्यकुशलता बढाने एँव उन पर प्रशासनिक नियँत्रण प्रभावी बनाने हेतु इनके कार्य मूल्याँकन प्रतिवेदन के प्रतिवेदक अधिकारी के प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किया गया।
6. वर्ष 2016–17 की उप निदेशक अभियोजन के पदों, वर्ष 2015–16 की सहायक निदेशक अभियोजन, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व सहायक कार्यालय अधीक्षक एँव लिपिक ग्रेड–प्रथम के पदों की पदोन्नति की जा चुकी है।
7. भवनों के सम्बन्ध मेंः– बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2015–16 में अभियोजन भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राजसमंद, सुजानगढ़ (चूरू), नोखा (बीकानेर) में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय हनुमानगढ़ व झुँन्झुनु (प्रथम तल) एँव उपखण्ड स्तर पर संगरिया, टिब्बी (जिला हनुमानगढ), नवलगढ़ (जिला झुँन्झुनु) तथा बाली (जिला पाली) के अभियोजन भवन निर्माण हेतु राशि रू. 231.66 लाख की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8. जिला मुख्यालय एँव उपखण्ड स्तर पर अभियोजन भवन के निर्माण हेतु मानक मानचित्र का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया।
9. नियुक्तिः– वर्ष 2014 में 115 सहायक अभियोजन अधिकारियो को नियुक्ति प्रदान की गई है तथा वर्ष 2016 में 291 सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2015 मे 2 तथा वर्ष 2016 में माह नवम्बर 2016 तक 16 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक एँव वर्ष 2015 मे 2 तथा वर्ष 2016 में माह नवम्बर 2016 तक 10 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी ।

10. बजट – अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014–00–114–02–01 (नोन प्लान) में वर्ष 2016–17 मे 6684.82 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्व माह अक्टूबर 2016 तक 3684.25 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059–80–(051)–08–00–(17)(प्लान) मे वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रुपये 163.90 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध माह अक्टूबर 2016 तक राशि रूपये 66.78 लाख का व्यय हो चुका है।
11. निरीक्षण – वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह नवम्बर तक निदेशक महोदय द्वारा 19 अधीनस्थ कार्यालयो का निरीक्षण किया गया है तथा नवम्बर 2016 तक विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का 64.09 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
12. वर्ष 2015 में संभाग स्तर के 7 अधिकारियों को निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये।

अभियोजन विभाग में वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई है:–

1. सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर वर्ष 2016–17 की पदोन्नति कर 12 पदों पर डी.पी.सी. दिनांक 05.07.2016 को सम्पन्न कर पदोन्नतियां दी गयी।
2. अभियोजन अधिकारी से सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर वर्ष 2015–16 की पदोन्नति कर 17 पदों पर डी.पी.सी. दिनांक 23.06.2016 को सम्पन्न कर पदोन्नतियां दी गयी।

6. सार – संक्षेप (Executive Summary)

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा, जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारियो के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों में भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये तथा जिनका सजायाबी का प्रतिशत 75% से अधिक है उन्हे प्रशंसा पत्र देने का निर्णय लिया गया है।

.....